सभी खाद्य पदार्थों और 20% चीनी वाले उत्पादों की जूट पैकिंग अनिवार्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में सभी खाद्य पदार्थों और 20 फीसदी चीनी वाले उत्पादों की पैकिंग जूट के बैग में अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट वर्ष 2022-23 (1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023) के लिए जूट पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल के इस फैसले से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 3.7 लाख श्रमिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, कई लाख किसान परिवारों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यावरण की रक्षा में भी मदद होगी, क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, जैव-निम्नीकरणीय, नवीकरणीय और पुनः इस्तेमाल में आने वाला फाइबर है और सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।

3.7 लाख श्रमिक जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कर रहे काम, मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को डेढ़ साल के लिए बढ़ा दिया। आयोग उन कानूनों की पहचान करता है जो 'अब प्रासंगिक नहीं हैं' और उन्हें वापस लेने की सिफारिश करता है। 22वें विधि आयोग को 31 अगस्त 2024 तक विस्तार दिया गया है। इसका कार्यकाल सोमवार को खत्म हुआ था।

22वें विधि आयोग को अगले साल अगस्त तक का विस्तार

21 फरवरी 2020 को हुआ था गठन

आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को तीन साल के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने नौ नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था।

शिकागो कन्वेंशन में संशोधन के तीन प्रोटोकॉल बहाल

मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन में संशोधन से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की बहाली को मंजूरी दे दी। शिकागो कन्वेंशन, 1944 सभी अनुबंधित राज्यों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय आईसीएओ मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (एसएआरपी) को अपनाने को बढ़ावा देता है।

- पहले प्रोटोकॉल में सदस्य देशों को उड़ान के दौरान विमान पर हथियार का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए शिकागो कन्वेंशन में अनुच्छेद 3 जोड़ना है।
- दूसरा प्रोटोकॉल आईसीएओ परिषद की ताकत को 36 से 40

तीनों प्रोटोकॉल की बहाली अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। यह कदम भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से जुड़े